रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3175] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 13, 2018/श्रावण 22, 1940
No. 3175] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 13, 2018/SHRAVANA 22, 1940

विद्युत मंत्रालय

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

का.आ. 3971 (अ).—जैसा कि मायत्रा एनर्जी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एमईआईपीएल), आवेदक जिसका पंजीकृत कार्यालय 8001, एस.नंबर 109, क्यू.सिटी, नानक्रामगुडा, गाचिबोउली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना में स्थित है, ने "मायत्रा विंड फार्म (ओट्टूदंपत्ति) से तूतीकोरिन-II (जी.आई.एस.) एकत्रीकरण केंद्र" तक 230 केवी डी/सी संचरण लाइन के निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा -164 के तहत अनुमोदन हेतु आवेदन किया है।

और जैसा कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने अपने पत्र सं 52/11/2017-PSPA-II/1544 दिनांक 28.11.2017 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा- 68 की उपधारा (i) के तहत मायत्रा एनर्जी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एमईआईपीएल), आवेदक को "मायत्रा विंड फार्म (ओट्टूदंपत्ति) से तूतीकोरिन-II (जी.आई.एस.) एकत्रीकरण केंद्र" तक 230 केवी डी/सी संचरण लाइन के निर्माण हेतु पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

और जैसा कि आवेदक ने अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा- 164 के अंतर्गत उसे समस्त शक्तियां प्रदान किए जाने का आग्रह किया है जो सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित टेलीग्राफ के प्रयोजन से या कार्यों हेतु इस प्रकार स्थापित या अनुरक्षित की जाने वाली टेलीग्राफ लाइनें और पोस्ट स्थापित करने के संदर्भ में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास हैं।

इस योजना के अंतर्गत शामिल पारेषण लाइनें, निम्न गांवों, तहसीलों, तालुकों, मंडलों, प्रखंडों, कस्बों और शहरों के अंदर से, ऊपर से, पास से और बीच से गुजरेंगी।

मायत्रा विंड फार्म (ओट्टूदंपत्ति) से तूतीकोरिन-II (जी.आई.एस.) एकत्रीकरण केंद्र तक 230 केवी डी/सी संचरण लाइन :

गाँवों के नाम	तहसील/मण्डल	जिला
ओट्टुदंपत्ति (ओट्टरमपत्ति), कुप्पानपुरम, थेरकुवंदनम, कुरुविनात्तम, वडक्कुवंदनम, इलंदापट्टी, पोम्मुस्वामीपुरम, पुदुपट्टी, कलियानापुरम, कुमारापुरम	कायाथर	तूतिकोरिन, तमिलनाडु

मायत्रा एनर्जी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है । अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मायत्रा एनर्जी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त पारेषण लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

(i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

(ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

(iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

(iv) आवेदक मायत्रा एनर्जी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, को मायत्रा विंड फार्म (ओट्टूदंपत्ति) से तूतीकोरिन-II (जी.आई.एस.) एकत्रीकरण केंद्र के निर्माण का दायित्व सौंपा जाता है। कार्य का विवरण भारत के राजपत्र दिनांकः अप्रैल 14- अप्रैल 20, 2018 में प्रकाशित हैं।

(v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।

(vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

(vii) मायत्रा एनर्जी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा.सं. CEA-PS-12-14(21)/1/2018-PSPA-II Division]

पी.सी. कुरील, सचिव, (के.वि. प्रा.)

MINISTRY OF POWER

(CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY)

ORDER

New Delhi the 10th August, 2018

S.O. 3971(E).—Whereas**,** the applicant M/s Mytrah Energy (India) Private Limited with its Registered Office at 8001, S.No.109, Q-City, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032, Telangana, India has applied for grant of

authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 vide its letters under reference for the construction of "230 kV Double Circuit Transmission line from Mytrah Wind Farms (Outtudampatti) to Tuticorin-II GIS Pooling Station".

And whereas Government of India, Ministry of power vide letter no. 52/11/2017-PSPA-II/1544 dated 28.11.2017 had granted prior approval under section 68 of the Electricity Act, 2003 for construction of 230 kV D/C Transmission line from "Mytrah Wind Farms (Outtudampatti) to Tuticorin-II GIS Pooling Station".

And whereas the applicant has now requested to confer upon him all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003 which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained for the works.

The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around, and between the following villages, tehsils, talukas, mandals, blocks, towns and cities:—

Mytrah Wind Farms (Outtudampatti) to Tuticorin-II GIS Pooling Station 230 KV D/C Transmission line:

Name of the villages	**Taluka**	**District**
Outtudampatti(Ottarampatti), Kuppanapuram, Therkuvandanam, Kuruvinattam, Vadakkuvandanam, Elandapatti, Pommuswamipuram, Pudupatti, Kaliyanapuram, Kumarapuram.	Kayathar	Tuticorin, Tamilnadu

M/s Mytrah Energy (India) Private Limited (MEIPL) had complied with the MoP's procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to MEIPL (M/s Mytrah Energy (India) Private Limited) for laying above transmission lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned transmission lines, namely:

(i) The approval is granted for 25 years;

(ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

(iii) The Applicant shall have to follow regulations / codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access etc., framed under Electricity Act,2003.

(iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility of construction of "230 kV Double Circuit Transmission line from "Mytrah Wind Farms (Outtudampatti) to Tuticorin-II GIS Pooling Station".

The details of the work are published in the Gazette of India dated April 14- April 20, 2018.

(v) The Applicant shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States/Central Government.

(vi) The approval is subject to compliance by the Applicant of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder.

(vii) MEIPL shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

[F.No. CEA-PS-12-14(21)/1/2018-PSPA-II Division]

P.C.KUREEL, Secy. (CEA)

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.08.23 10:30:34 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.